भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1680
(30 जुलाई, 2015 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा का संगमन

1680. श्रीमती आर. वनरोजाः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना को 'मनरेगा' के साथ संगमित करने का निर्णय लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने प्रतिवर्ष 18-35 वर्ष आयु वर्ग के एक लाख कामगारों को 'मनरेगा' के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराने तथा उन्हें कौशलयुक्त रोजगार देने का निर्णय किया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुदर्शन भगत)

(क) और (ख): जी, हाँ। सरकार ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रोजेक्ट फॉर लाइवलीहुड्स इन फुल एम्प्लॉयमेंट (प्रोजेक्ट लाइफ-मनरेगा) अप्रैल, 2015 में शुरू की है। यह परियोजना दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के परामर्श से तैयार की गई है।

प्रोजेक्ट लाइफ मनरेगा का उद्देश्य मनरेगा कामगारों में आत्मनिर्भरता और कौशलों के विकास को बढ़ावा देकर उनकी आजीविका में सुधार लाना है, ताकि वे मौजूदा आंशिक रोजगार से आगे बढ़कर पूर्ण रोजगार प्राप्त कर सकें। सभी राज्य सरकारों को इस विषय में योजना तैयार करने की सलाह दी गई है।

(ग) और (घ): सरकार ने फिलहाल ऐसे प्रत्येक जॉब कार्ड धारक परिवार के एक इच्छुक सदस्य के कौशल विकास प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है, जिसने वर्ष 2014-15 के दौरान महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 100 दिनों का कार्य पूरा किया है। तदनुसार राज्यों से कहा गया है कि वे कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने की लक्षित परिवारों की इच्छा और उनके पसंदीदा कौशल प्रशिक्षण की जानकारी प्राप्त करें।

इस सर्वेक्षण में दिनांक 27 जुलाई, 2015 तक शामिल किए गए 9,71,246 परिवारों में से 5,25,067 परिवारों ने कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपनी इच्छा और अपने पसंदीदा कौशल प्रशिक्षण की जानकारी दी है। कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकने वाले परिवारों की संख्या प्रत्येक राज्य में प्रशिक्षण क्षमताओं की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। राज्यों से कहा गया है कि वे अपनी वार्षिक कार्य योजना तैयार करें। दिनांक 10 से 13 अगस्त, 2015 तक आयोजित की जाने वाली अधिकार-प्राप्त समिति की बैठक में इन वार्षिक कार्य योजनाओं की जाँच करके इन्हें स्वीकृत किया जाएगा।

*****